

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3395
12.07.2019 को उत्तर के लिए

ई-कचरा

3395. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) देश में एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा और पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में उभर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन टन से अधिक ई-कचरा पैदा होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ई-कचरा प्रबंधन नियमों के तहत ई-कचरे के पुनर्चक्रण और इस हेतु उद्योग स्थापना को समर्थन देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में पुनर्चक्रण उद्योग की मौजूदा स्थिति और प्राधिकृत पुनर्चक्रण उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान ई-कचरा पुनर्चक्रण/छंटनी संयंत्रों को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा खर्च की गई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार राशि कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

- (क) देश की आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों के उच्च अप्रचलन दर के साथ टेक्नोलॉजिकल नवाचारों के परिणामस्वरूप, ई-कचरे की सृजन दर में वृद्धि हुई है। सीसा, , मर्करी, कैडमियम, हेक्सावैलेंट क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स और पॉलीब्रोमिनेटेड डिफिनाइल ईथर जैसे विषाक्त योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पर्यावरण अनुकूल विधि से संसाधित किए बिना ई-कचरे का निपटान, मृदा और भूजल सहित मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं।
- (ख) वर्ष 2005 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश में 1.47 लाख टन ई-कचरे का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय रिपोर्ट "द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2017" के अनुसार, वर्ष 2016 में देश में 20 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होने की जानकारी दी गई थी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में ई-कचरे के एक समान सूचीकरण हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- (ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 312 डिस्मेंटलरों और रिसाइक्लरों को 18 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकृत डिस्मेंटलरों और रिसाइक्लरों की कुल वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 7,82,080 मीट्रिक टन है। देश में प्रचालित स्थापित रिसाइक्लिंग/डिस्मेंटलिंग सुविधाओं का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	अधिकृत डिस्मेंटलर / रिसाइक्लरों की संख्या	राज्य वार क्षमता (एमटीपीए)
1.	आंध्र प्रदेश	01	480
2.	छत्तीसगढ़	01	600
3.	गुजरात	16	49053
4.	गोवा	01	103

5.	हरियाणा	28	82,738
6.	हिमाचल प्रदेश	01	1000
7.	जम्मू और कश्मीर	01	165
8.	कर्नाटक	71	52722
9.	महाराष्ट्र	75	78,179
10.	मध्य प्रदेश	02	9600
11.	ओडिशा	03	3680
12.	पंजाब	03	4850
13.	राजस्थान	26	90,769
14.	तमिलनाडु	24	97,271
15.	तेलंगाना	1 1	41,493
16.	उत्तर प्रदेश	41	243,627
17.	उत्तराखंड	04	19250
18.	पश्चिम बंगाल	03	1860
		312	7,82,080

ई-कचरे के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2016 में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के प्रावधानों में विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी, निर्माता जिम्मेदारी संगठनों की स्थापना और संग्रहण और रिसाइक्लिंग की सुविधा के लिए ई-कचरे का आदान-प्रदान, सुरक्षित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के थोक उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपना, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था और अन्य उपाय जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे के संग्रहण और चैनलाइजिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के निर्माताओं की जिम्मेदारी शामिल हैं। नियमों में एकल प्राधिकार के माध्यम से डिस्मंटलिंग और रिसाइक्लिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सरलीकृत अनुमति प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को ई-कचरे की डिस्मंटलिंग और रिसाइक्लिंग सुविधाओं के लिए उद्योग स्थापित करने की जगह चिन्हित करने और औद्योगिक कौशल विकास करने और ई-कचरे की डिस्मंटलिंग और रिसाइक्लिंग में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर्यावरण अनुकूल विधि से ई-कचरे को रिसाइकिल करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) -फेस-II से धातुओं की पुनःप्राप्ति के लिए पर्यावरण अनुकूल विधियां" नामक शीर्षक की एक परियोजना के माध्यम से बंगलोर में एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया है, जिसे अगस्त, 2014 पांच वर्षों की अवधि के लिए 1126.80 लाख के कुल अनुमानित बजट पर सेन्टर फॉर मैटीरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी (सी-एमईटी) हैदराबाद और ई-परिसारा, बैंगलुरु द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनपएमएल), जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रिसाइक्लिंग और पुनः उपयोग के लिए भौतिक पृथक्करण और रासायनिक लीचिंग विधियों के माध्यम से एक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), भुवनेश्वर- रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के तहत स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान में ई-कचरे के प्लास्टिक को वर्जिन मास्टर बैच में परिवर्तित करने पर एक प्रदर्शन प्रक्रिया भी स्थापित की है, जिसका उपयोग मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए किया जा सकता है।
